संख्या-504/2017/1821/22-2-2016-17(91)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री कन्हैया, निवासी-जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री कन्हैया, निवासी-सादिकपुर, थाना-हाफिजपुर, जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड का रहने वाला है। धान की बटाई का हिस्सा न देने एवं पट्टे की जमीन के विवाद में बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18/19.04.2001 को रात्रि लगभग 11:30 बजे लाठी व बलकटी से मारकर मदन लाल, श्रीमती विमलेश देवी, 11 वर्षीय योगेन्द्र व 08 वर्षीय बिट्टू की हत्या कर दी एवं 02 वर्षीय सौरभ को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 452 एवं धारा-3 (2) 5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 27.01.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक व्यक्ति, एक महिला, 02 बच्चों की हत्या करने एवं 02 वर्षीय अबोध बच्चे को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री कन्हैया को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ओमवीर (बन्दी संख्या-13951) पुत्र श्री कन्हैया निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-504/2017/1821(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-504/2017/1821/22-2-2016-17(91)/2011

दिनांक 30 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री कन्हैया, निवासी-सादिकपुर, थाना-हाफिजपुर, जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड का रहने वाला है। धान की बटाई का हिस्सा न देने एवं पट्टे की जमीन के विवाद में बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18/19.04.2001 को रात्रि लगभग 11:30 बजे लाठी व बलकटी से मारकर मदन लाल, श्रीमती विमलेश देवी, 11 वर्षीय योगेन्द्र व 08 वर्षीय बिट्टू की हत्या कर दी एवं 02 वर्षीय सौरभ को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 452 एवं 3 (2) 5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 27.01.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक व्यक्ति, एक महिला, 02 बच्चों की हत्या करने एवं 02 वर्षीय अबोध बच्चे को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री कन्हैया को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।